अमीचन्द आदि – मो. शाहिदा आदि प्र. सं. 06/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
?.7.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप.। रेस्पो. 1 की ओर से श्री [illegible] उपस्थित। [illegible] वकालतनामा पेश किया [illegible] रेस्पो. [illegible] [illegible] तामील [illegible] रेस्पो. की तामील मानी जाती है। बहस अपील दिनांक 31.7.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
31.7.24	पत्रावली पेश। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
14.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 06/2023

1 आरिफ पुत्र हुसैन
2 सलीम पुत्र हुसैन जाति कसाई निवासीगण वार्ड नम्बर 07, मोहल्ला इस्लामपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 मोहम्मद जाहिद खत्री आयु 34 साल पुत्र मो. जाकिर खॉ, जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 10 मोहल्ला व्यापारियान, सीकर तहसील सीकर जिला सीकर राज.।
2 इमरान पुत्र मुमताज
3 इरफान पुत्र मुमताज
4 जैतुन पत्नी मुमताज
5 सोयब पुत्र मुमताज
6 हारून पुत्र मुमताज
समस्त जाति कसाई निवासीगण वार्ड नम्बर 06 मोहल्ला इस्लामपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
7 जाकिर का वास्तविक नाम मोह. साकिर पुत्र हुसैन
8 आसिया मृत पत्नी हुसैन देहान्त दिनांक 31.08.2019
समस्त जाति कसाई निवासीगण वार्ड नम्बर 07, मोहल्ला इस्लामपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
9 तहसीलदार महोदय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 21.04.2022 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, लक्ष्मणगढ़ सीकर पीठासीन अधिकारी डॉ कुलराज मीणा जो दावा संख्या 198/2021 ब्उनवानी मो. जाहिद बनाम इमरान आदि में पारित किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री रतनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द थालौड़ , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रिड़मल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 198/2021 में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 2080 वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस/प्रतिवादी पर तामिल करवाये बिना व इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये बिना ही बिना सूचना दिये ही विभाजन प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी कर दी गई जो आदेश आश्चर्यजनक रूप से उतावलापन दिखाते हुये दिनांक 21.04.2022 को बिना बहस सुने ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाये के आदेश पारित कर दिया, जबकि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 08 नियम 1 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण पर सम्मन नोटिस विधिवत तामील होने के उपरांत प्रतिवादीगण से 30 दिन के अंदर जवाब दावा प्राप्त करने का प्रावधान है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय के लिये आवश्यक था कि समस्त प्रतिवादीगण की नियमानुसार तामील करवाते, समस्त पक्षकारान को जवाब देही का समुचित अवसर प्रदान करते तथा जवाब देही के आधार पर तनकीयात कायम करनी चाहिये थी। वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य सबूत लेकर ही निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिये थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलाधीन दावा में प्रतिवादी संख्या 8 आसिया का देहान्त दिनांक 31.08.2019 को हो चुका था वादी द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद–पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 06.10.2021 को पेश किया था। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अनुतोष चाहा है तथा मृतक प्रतिवादिनी आसिया को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द माननीय से करवाना चाहता है। वादी द्वारा वादपत्र की मद संख्या 5 में मृतक प्रतिवादिनी के विरूद्ध वादकारण दर्ज किया है। उपरोक्त प्रकार वादी द्वारा मृतक प्रतिवादीनी संख्या 8 आसिया पत्नी हुसैन को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाते हुए दावा पेश किया है। उपरोक्त प्रकार वादी मोहम्मद जाहिद द्वारा मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण दर्ज करके पेश किया है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र नलिटि है जो वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.04.2022 को जारी करने से पूर्व अपीलान्टस को किसी भी तरह से सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 21.04.2022 प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट आरिफ और सलीम प्रतिवादी संख्या 7 व 8 रहे है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे किसी के हित प्रभावित नहीं होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, सभी पक्षकारों की तामील पूर्ण किये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेव [illegible] धोणक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर